हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भीमसिह बनाम रामसिह वगैरा धारा 136 प्रकरण सख्या 100/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 100/2014 भीमसिह बनाम रामसिह वगैरा अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम शिकारपुरा तहसील लुणी के खसरा नम्बर 509 से 513, 272, 238, 339, 342, 343, 347, 411, 437, इ447, 448, 452 से 456, 512, 514, 516 कुल खसरे 24 कुल रकबे 333.02 बीधा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपना हिस्सा 1/2 दर्ज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भू.अ/2022/1837 दिनाक 18.04.2022 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा 01. नामान्तरकरण सख्या 83 ग्राम शिकारपुरा के अनुसार ग्राम शिकारपूरा के खसरा नम्बर 509 से 513 272, 448, 339, 342, 343, मे प्रार्थी के पिता का 1/2 हिस्सा दर्ज है 02. नामान्तरकरण सख्या 142 ग्राम शिकारपुरा के अनुसार जरिये बटवाडा प्रार्थी के पिता के हिस्से मे खसरा नम्बर 342, 343, 453, 455 कुल रकबा 81.04 बीधा हिस्से मे आयी 03. पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड नामान्तरकरण सख्या 142 अनुसार प्रार्थी के सहखातेदारी का पारविारिक आपसी सहमति बटवाडा अनुसार खसरा सख्या 342,343,453, 455 कुल रकबा 81.04 बीधा हिस्से मे प्राप्त होने से प्रकरण 136 के तहत रेकर्ड दुरूस्ती का नही बनता है प्रकरण खारिज योग्य है। अत– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं प्रकरण 136 के तहत रेकर्ड दुरूस्ती का नही बनता है प्रकरण खारिज योग्य है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	